# फर्द अहकाम

गंगाराम बनाम अनिकेत

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 90/2023

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | तहसीलदार तूंगा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त अराजी का उक्तानुसार उभयपक्षों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित करते हुये उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर कुर्रेजात व नक्शे तीन-तीन प्रतियों में भिजवाना सुनिश्चित करें। खाता व लगान अलग-अलग कायम किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। इस आशय की तहसीलदार तूंगा को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते इंतजार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 02/11/2023 को पेश हो। | तहरीर जारी DN 4321 23/10/23 |
| | 02/11/23 | पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 05/12/23 को पेश हो। | |
| | 05/12/23 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स, कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 11/01/24 को पेश हो। | |
| | 11/1/24 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स, कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 22/2/24 को पेश हो। | |
| | 22/2/24 | पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 04/04/24 को पेश हो। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल है। | |
| | 04/04/24 | पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार तूंगा के पत्रांक LR/2024/216 | |

# फर्द अहकाम

गंगाराम बनाम सविकेत

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 90/2023

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | दिनांक 31/01/2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पूर्व से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार तूंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादपत्र में अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता को वादपत्र पर एक पक्षीय सुना गया।<br>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुनने के पश्चात एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरान्त हम पाते है कि तहसीलदार तूंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप तैयार होकर प्राप्त हुये है एवं अधिकांश पक्षकार प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित थे एवं विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है इसलिए न्यायहित को ध्यान मे रखते हुये तहसीलदार तूंगा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31/01/2024 का अनुमोदन किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 66 रकबा 2.0232 है० स्थित ग्राम खेडा मलूकपुरा पर देवगांव |

गंगा

# फर्द अहकाम

गंगाराम बनाम अनिकेत

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

विशेष हि

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 90/2023

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | तह. डूंगा जि. जयपुर मे से खसरा न. 66/3 रकबा 0.2148 हैक्ट की भूमि खातेदार गंगाराम पुत्र भैराराम हि. सम्पूर्ण जाति मेघवाल सा. टोकला तह. कोलायत जि. बीकानेर के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 66/1 रकबा 1.7684 हैक्ट की भूमि खातेदार अनिकेत पुत्र शंकर हि. 1661/17684 बिना रहन चिरंजीलाल मुकेश मोतीराम पुत्रान शंकर हि. 4983/17684 राहिन BOI सांभरिया छोटीदेवी पत्नि श्रवण नाबालिग ज्योति नाबालिग सोनी पुत्रियां श्रवण पवन पुत्र श्रवण (नाबा.) हि. 944/17684 टिंकू पुत्र रामकिशोर हि. 944/17684 बिना रहन दुर्गालाल पुत्र रामचन्द्र हि. 773/17684 राहिन SBI लालगढ हनुमान पुत्र रामचन्द्र हि. 2228/17684 राहिन SBI लालगढ पप्पू पुत्र काना हि. 944/17684 सूरज पुत्र काना हि. 944/17684 कल्याण पुत्र काना 943/17684 बनवारी रविकुमार श्योजीराम सत्यनारायण उर्फ सीताराम पुत्रान रामस्वरूप हि. 943/17684 रमेश पुत्र रामपाल हि. 1434/17684 राकेश राजेश पुत्रान बाबूलाल हि. 943/17684 जाति बैरवा सा. झीझा के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 66/2 रकबा 0.0400 हैक्ट की भूमि शामलाती | |

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

# अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1. गंगाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम टोकला, तह. कालायत जिला बीकानेर राज0 जरिये मुख्तयारआम जयदेव सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी 5–छ–2 जवाहरनगर जयपुर।

प्रतिवादीगण

बनाम

1. अनिकेत पुत्र शंकर
2. कल्याण पुत्र काना
3. चिरंजीलाल पुत्र शंकर
4. छोटा देवी पत्नि श्रवण
5. ज्योति पुत्री श्रवण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता छोटी
6. टिंकू पुत्र रामकिशोर
7. दुर्गालाल पुत्र रामचन्द्र
8. पप्पू पुत्र काना
9. पवन कुमार पुत्र श्रवण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता छोटी देवी
10. बनवारी लाल पुत्र रामस्वरुप
11. मुकेश पुत्र शंकर
12. मोतीराम पुत्र शंकर
13. रमेश पुत्र रामपाल
14. रविकुमार पुत्र रामस्वरुप
15. राकेश पुत्र रामस्वरुप
16. राजेश पुत्र बाबूलाल
17. श्योजीराम पुत्र रामस्वरुप
18. सत्यनारायण उर्फ सीताराम पुत्र रामस्वरुप
19. सूरज पुत्र काना
20. सोनी पुत्री श्रवण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता छोटी देवी
21. हनुमान पुत्र रामचन्द्र
    समस्त जाति बैरवा निवासीयान ग्राम झींझा तह. तूंगा जिला जयपुर।
22. उपपंजीयक बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर।
23. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बस्सी जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

**दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955**

मुकदमा नम्बर 90/2023

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 2.0232 है. स्थित ग्राम खेडामलूकपुरा प.ह. देवगांव तह. तूंगा जिला जयपुर में से ख. नं. 66/3 रकबा 0.2148 है. की भूमि खातेदार गंगाराम पुत्र भैराराम हि. संपूर्ण जाति

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

गोधवाल सा. टोकला तह. कोलायत जि. बीकानेर के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 66/1 रकबा 1.7684 है. की भूमि खातेदार अनिकेत पुत्र शंकर हि. 1661/17684 बिना रहन चिरंजीलाल मुकेश मोतीराम पुत्रान शंकर हि. 4983/17684 राहिन बी.ओ.आई. सांभरिया छोटी देवी पत्नि श्रवण नाबालिग ज्योति नाबालिग सोनी पुत्रियां श्रवण पवन पुत्र श्रवण ना. बा. हि. 944/17684 टिंकू पुत्र रामकिशोर हि. 944/17684 बिना रहन दुर्गालाल पुत्र रामचन्द्र हि. 773/17684 राहिन एस.बी.आई. लालगढ हनुमान पुत्र रामचन्द्र हि. 2228/17684 राहिन एस.बी.आई. लालगढ पप्पू पुत्र काना हि. 944/17684 सूरज पुत्र काना हि. 944/17684 कल्याण पुत्र काना 943/17684 बनवारी रवि कुमार श्योजीराम सत्यनारायण उर्फ सीताराम पुत्रान रामस्वरुप हि. 943/17684 रमेश पुत्र रामपाल हि. 1434/17684 रमेश पुत्र रामपाल हि. 1434/17684 राकेश राजेश पुत्रान बाबूलाल हि. 943/17684 जाति बैरवा सा. झींझा के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 66/2 रकबा 0.0400 है. की भूमि शामलाती रास्ता चौडाई 30 फुट रहेगी। तहसीलदार तूंगा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने की कार्यवाही करे। बाद अनुमोदन विभाजन प्रस्ताव व नक्शे तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावें। .....निजी.....मुबलिक.....बाबत..... .....खर्चा.....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04.04.2024 को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त.....

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला–जयपुर

ओहदा.....

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दायलह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प बकालतनामा | | | स्टाम्प बकालतनामा | | |
| स्टाम्प वहत सबूत | | | स्टाम्प वहत सबूत | | |
| महन्ता वकील | | | महन्ता वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय | | | बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण